न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 22/2025
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 01.05.2025

निर्णय दिनांक : 20.05.2025

उनवान

1. हरिसिंह पिता मूलसिंह जाति राजपूत
2. मदनसिह पिता मूलसिंह जाति राजपूत
3. मंगलसिह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत
4. करणसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत
5. गणपतसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत

सभी निवासीयान बल्लो का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पिता भूरालाल जाति भील
2. भंवरलाल पिता भूरालाल जाति भील
3. राजूलाल पिता भूरालाल जाति भील
4. सुन्दरलाल पिता भूरालाल जाति भील
5. कंचन पिता भूरालाल जाति भील
6. कंकु पिता भूरालाल जाति भील

सभी निवासीयान बल्लो का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द हाल निवासी तुरकिया, तहसील मलारगढ, जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थीगण की ओर से :– अधिवक्ता प्रमोद लक्ष्कार
विपक्षीगण की ओर से :– अधिवक्ता विकास शर्मा

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बल्लो का खेड़ा पटवार हल्का लीकी तहसील आमेट जिला राजसमंद में स्थित खाता संख्या नया 11 पुराना 02 के आराजी नम्बर 134, 135, 137, 138, 154 से 157 कुल किता 08 रकबा 1.4367 हैक्टेयर भूमि है जिसके सेंटलमेंट संवत् 2081 से पूर्व के नम्बर 136 से 138 कुल किता 09 रकबा 1.4300 हैक्टेयर है। उक्त वर्णित भूमि के सेटलमेंट से पूर्व संवत

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

2014 से 2017 विपक्षी संख्या 01 से 06 के पूर्व अधिकारी जालु, उदा पिता गुला जी जाति भील निवासी बल्लों का खेड़ा तहसील आमेट जिला उदयपुर के खातेदारी व अधिपत्य की थी जिसके आराजी नम्बर 57 रकबा चार बिस्वा, आरजी नम्बर 58 रकबा आधा बीघा दो बिस्वा, आराजी नम्बर 59 रकबा ढाई बीघा, आराजी नम्बर 60 रकबा एक बीघा तीन बीस्वा, आराजी नम्बर 61 रकबा नो बिस्वा, आराजी नम्बर 62 रकबा सवा बीघा दो बिस्वा कुल किता 06 रकबा सवा छः बीघा है। विपक्षी संख्या 01 से 06 के पूर्वाधिकारी जालु व उदा पिता गुला को रुपयो की आवश्यकता होने से प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी श्री मूलसिंह पिता सुल्तानसिंह जी जाति राजपूत निवासी बल्लों का खेड़ा को दिनांक 24.08.1960 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा भूमि विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपुर्द कर दिया। क्रेता मूलसिह पिता सुल्तान सिंह का देहान्त हो चुका है तथा प्रार्थीगण उनके वारिश है तथा जालमा उर्फ जालु व उदा का देहान्त हो चुका है तथा जालमा के दो पुत्र अमरा व रामा हुएं और दोनो लाऔलाद फौत हो चुके है तथा उदा के एक मात्र पूत्र भूरा हुआ तथा भूरा के वारिश प्रतिवादी संख्या 01 से 06 है। परिवार का सजरा निम्न प्रकार है

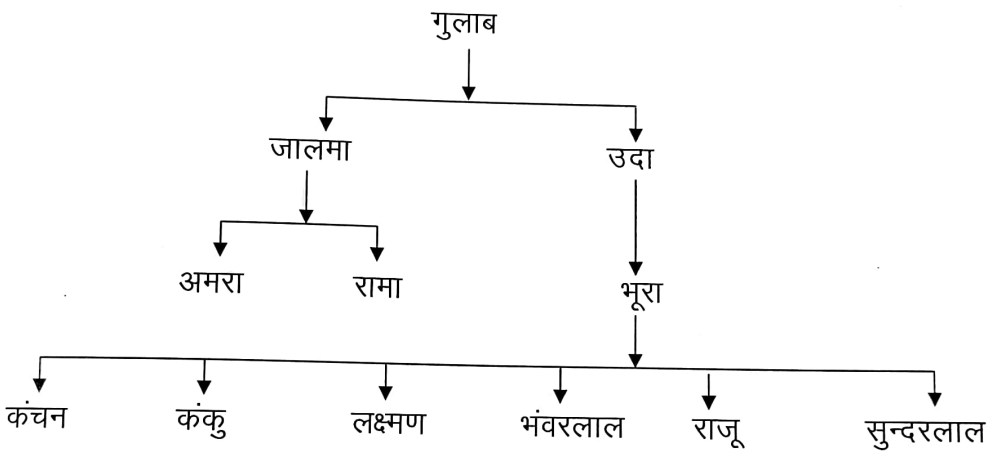

भूमि का पंजीयन अपने नाम करवाने के बाद प्रार्थीगण के पुर्वाधिकारी द्वारा लाखों रुपयें लागत खर्च कर भूमि को विकसित किया तथा कई वर्षों से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है, चारों तरफ बाढ़ बनाई और वर्तमान में प्रार्थीगण भूमि पर काबिज होकर उसका कृषि में उपयोग कर रहे हैं। जब प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि बाबत नकल निकलवाए तो प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि उक्त भूमि उनके पुर्वाधिकारी श्री मुलसिह पिता सुल्तानसिंह जी जाति राजपूत के खाते दर्ज नही है और वर्तमान में अमरा पिता जालमा, भूरा पिता उदा, रामा पिता जालमा के नाम दर्ज है और प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण से सम्पर्क किया और उन्हें भुमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने को कहा तो विपक्षीगण ने पहले तो आनाकानी करते रहे और बाद में रुपया मांग करने लगे तो प्रार्थीगण ने दिनांक 24.11.2024 को एक राजीनामा विपक्षीगण से निष्पादित करवाया और विपक्षीगण को 8,00,000/–रूपये देना तय किया तथा जिसके सम्बन्ध में इकरार नामा निष्पादित किया गया जिसमें सेटलमेंट 2081 से पूर्व के नम्बर के आधार पर इकरार नामा निष्पादित किया।

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

प्रार्थीगण ने पंजीयन अधिकारी आमेट से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि उक्त भूमि का पंजीयन अब प्रार्थीगण के नाम नहीं किया जा सकता क्योंकि 1965 में राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 42 में संशोधन कर यह प्रावधान शुरू कर दिया अब एस.सी. एस.टी. अपनी भूमि एस.सी. एस.टी को ही विक्रय कर सकता है। अन्य के नाम पर हस्तांतरण निष्पादित नहीं किया जा सकता है परंतु पंजीयन उक्त संशोधन लागू होने से पूर्व का है। आप सक्षम न्यायालय से घोषणा की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। यदि सक्षम न्यायालय से घोषणा की डिग्री प्राप्त की जाती है, तो हम उस आधार पर नामांकन दर्ज कर देंगे प्रार्थीगण द्वारा कई बार निवेदन किया की भूमि वादीगण के खाते दर्ज करें परंतु तहसीलदार द्वारा स्पष्ट मना कर दिया गया था। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया की पंजीयन दिनांक 28.08.1960 के आधार पर ग्राम बल्लो का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमंद की वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण को खातेदार घोषित किया जाना अनिवार्य हो गया है। अन्यथा प्रार्थीगण अपने हक से महरुप हो जाएगा तथा प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में संभव नहीं है। विपक्षीगण के मन में बदनियती आ गई है भूमि अपने पूर्वजो के नाम दर्ज होने का फायदा उठा भूमि का अपने नाम नामान्तरण खूलवा विकय, रहन, बय, अन्तरण, बक्षीस किसी अन्य को करने पर आमदा है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है यदि विपक्षीगण अपने कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को भारी कष्ठ व असुविधा का सामना करना पडेगा। विपक्षीगण के पक्ष में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि विपक्षीगण के पुर्वाधिकारी अमरा पिता जालमा, भूरा पिता उदा, रामा पिता जालमा के खाते दर्ज वादग्रस्त भूमि का न ही अपने नाम नामान्तरण दर्ज करावे, न ही विकय, रहन, बय, अन्तरण, बक्षीस किसी अन्य को करें जिसके लिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण का सुदृठ होकर सुविधा का सन्तुलन प्राथीगण के पक्ष में एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होने वाली है। तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः श्रीमान सें अनूरोध है कि प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्ध मूलवाद के निष्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जावे कि विपक्षीगण के पुर्वाधिकारी अमरा पिता जालमा, भूरा पिता उदा, रामा पिता जालमा के खाते दर्ज वादग्रस्त भूमि को विकय, रहन, बय, अन्तरण, बक्षीस किसी अन्य को न करें। प्रार्थना पत्र व्यय वकील मेहताना भी प्रार्थीगण को विपक्षीगण संख्या 01 से 06 से दिलवाया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01, 03, 05, 06 प्रार्थना पत्र से सहमत होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये तथा विपक्षीगण की तरफ से अधिवक्ता विकास शर्मा ने मूल वाद मे स्वीकारात्मक जवाब पेश किया।

दोनो पक्षो के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम बल्लो का खेड़ा पटवार हल्का लीकी तहसील आमेट जिला राजसमंद में स्थित खाता संख्या नया 11 पुराना 02 के आराजी

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमंद

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

नम्बर 134, 135, 137, 138, 154 से 157 कुल किता 08 रकबा 1.4367 हैक्टेयर भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षीगण प्रकरण संख्या 39/2025 रे. वाद के निस्तारण तक मौके एवं अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

नोटः– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमंद

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)